

## अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

### उनवान

1. श्री प्यारचंद पिता अमरा रेगर निवासी ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

### **बनाम**

1. श्री उंकारलाल पिता अमरा रेगर निवासी ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री मोहनी पिता अमरा रेगर निवासी ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. पटवारी, पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

### **वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

मुकदमा न0 : 31/24 ( वाद )

जीसीएमएस नम्बर : 2024/58

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 62 पर दर्ज आराजीयात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1.	प्यारचन्द पुत्र अमरा रेगर सा.देह खातेदार	5891/2492/1	0.1619	बंजड़	0.54
	योग :-	किता-1	0.1619	-	0.54
2.	ऊंकारलाल पुत्र अमरा 2/3 मोहनी पुत्री अमरा 1/3 रेगर सा.देह खातेदार	5891/2492/2	0.1618	बंजड़	0.54
	योग :-	किता-1	0.1618	-	0.54

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मैरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **15.07.2025** को जारी की गई।

( रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (FT) मावली  
जिला उदयपुर

